

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार
निवारण) अधिनियम, बहराइच।

जे०ओ० कोड संख्या यू०पी० 2735

विशेष दायित्वक वाद संख्या 443/2023

राज्य

प्रति

महेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ सिबू सिंह।

थाना हरदी, बहराइच।

आरोप

मैं, पवन कुमार शर्मा-॥, विशेष न्यायाधीश/अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम आप अभियुक्तगण **महेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ सिबू सिंह** को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ-

1- यह कि दिनांक 28.04.2021 समय अदम तहरीर, बहद स्थान बगर दा० सिसैयाचूरामणि, थाना हरदी, जनपद बहराइच के अन्तर्गत आप अभियुक्त ने वादी मुकदमा मिश्रीलाल को जातिसूचक गालियाँ देकर इस आशय से प्रकोपित किया कि वे लोक शान्ति भंग कर सकता था। इस प्रकार आपने भा०द०सं० की धारा 504 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्त ने वादी मुकदमा को भयाक्रान्त करने की नियत से जान से मारने की धमकी दी। इस प्रकार आपने भा०द०सं० की धारा 506 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्त ने वादी मुकदमा को यह जानते हुए कि वह अनुसूचित जाति का है, को जनदृष्टि में अवमानित करने के आशय से जाति सूचक गालियाँ देकर अपमानित किया तथा जान से मारने की धमकी दी। इस प्रकार आपका कृत्य धारा 3(1)(द ध) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

मैं, एतद्वारा निर्देश देता हूँ कि उपरोक्त विरचित आरोपों के सम्बन्ध में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

(पवन कुमार शर्मा-॥)

दिनांक 20-05-2026

विशेष न्यायाधीश, (एस.सी./एस.टी.एक्ट), बहराइच।

अभियुक्त को उक्त आरोप पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये जिससे इन्कार करते हुए विचारण की माँग की गयी।

(पवन कुमार शर्मा-॥)

दिनांक 20-05-2026

विशेष न्यायाधीश, (एस.सी./एस.टी.एक्ट), बहराइच।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार
निवारण) अधिनियम, बहराइच।

विशेष दायित्वक वाद संख्या 443/2023

राज्य

प्रति

महेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ सिब्बू सिंह।

थाना हरदी, बहराइच।

20-05-2026

मुकदमा पुकारा गया। पुकार पर अभियुक्त **महेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ सिब्बू सिंह** मय अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्त को धारा 230 बी.एन.एस.एस.(207 द०प्र०सं०) के अनुपालन में नकले प्रदान की गयी।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने अपना कथन आरम्भ करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत होने वाले साक्ष्य का उल्लेख किया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित हो रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य पर सम्यक विचार करने के उपरान्त मैं, इस मत का हूँ कि अभियुक्त **महेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ सिब्बू सिंह** के विरुद्ध भा०द०सं० की धारा 504, 506 एवं धारा 3(1)(द ध) एस.सी./एस.टी.एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित करने के लिये पर्याप्त आधार विद्यमान है, तदनुसार अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किया जाये।

पत्रावली दिनांक 10.07.2026 को अभियोजन साक्ष्य हेतु प्रस्तुत हो। आरोप पत्र के क्रम संख्या 1 व 2 पर अंकित अभियोजन साक्षीगण उक्त तिथि के लिए जरिए सम्मन आहूत हो।

(पवन कुमार शर्मा-II)

विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित

जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बहराइच।